

रम्पाई सम्बद्धता M.Sc

राज्यपाल राधिका, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1583/जी.एस.  
दिनांक: 03/8/05

प्रेषक,  
श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
कुलसचिव,  
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय,  
कानपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक-सी.एस.जे.एम.वि.वि./सम्ब०/3865/2005 दिनांक 26-05-2005 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 की धारा-37(2) के अधीन महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई को परास्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-08-2005 से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

1- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1963 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- प्राचार्य, महाराणा प्रताप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हरदोई, उ०प्र०।

65  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

दिनांक 4/8/05  
22/8/05